पत्रांक: BGCMS/2016/15/141/ 07 UD&HD

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद (भा.प्र.से.)

प्रधान सचिव

नगर विकास & आवास विभाग

बिहार सरकार

सेवामें,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम

कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद्

कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर पंचायत

पटना, दिनांक:- 16/01/2017

विषय:- ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों की अनुपालना के सम्बन्ध में |

महाशय / महाशया,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने 25 सितम्बर, 2000 अधिसूचना जारी कर नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 लागू किया जिसका अनुपालन सभी नगर निकायों को दिसंबर, 2013 तक करना था | भारत सरकार ने उक्त नियमों में संशोधन कर 8 अप्रेल, 2016 को अधिसूचना जारी कर ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016 जारी किया हैं जिसके **नियम 4 से 15** में अपशिष्ठ उत्पन्न कर्ताओं, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विद्युत् मंत्रालय, नवीन और नवीकरण ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, **राज्यों में शहरी विकास के प्रभारी सचिव, जिला मजिस्ट्रेट,** पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, **स्थानीय निकायों**, ग्राम पंचायतों तथा शहरी समूहों **के कर्तव्य एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है |**

नियम 19 में ठोस अपशिष्ठ प्रसंस्करण और शोधन सुविधा की स्थापना के लिए मानदंड दर्शाये गए हैं | **नियम 22 में विभिन्न क्रियाकलापों के अनुपालन हेतु नियम की अधिसूचना की तिथि से समय सीमा निर्धारित की गयी है जिस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है |** नियमों की अनुसूची-I में स्वास्थ्यकर भरण स्थलों के लिए विनिर्देश और मानदंड दिए गए हैं जबकि अनुसूची-II में ठोस अपशिष्ठ के प्रसंस्करण और शोधन के मानक दिए गए हैं | नियमों के साथ 6 प्रारूप भी दिए गए हैं जिनमें प्राधिकार प्राप्त करने का आवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के प्रारूप हैं |

आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016 की संलग्न विशेष कंडिकाओं का अध्ययन निर्धारित समयावधि में अनुपालन सुनिश्चित करें | सम्पूर्ण ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016 को आप http://www.moef.gov.in/sites/default/files/SWM%202016.pdf से download कर सकते हैं |

अनुलग्नक: उपरोक्तानुसार

विश्वासभाजन

12/1/2017

(प्रधान सचिव)

ज्ञापांक:- BGCMS/2016/15/14-07 UD&HD

दिनांक:- 16/01/2017